हेम कंवर बनाम तहसीलदार
मु0न0:– 88/2023
निर्णय दिनांक:– 25.11.2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मुकदमा नम्बर:– 88/2023
निर्णय दिनांक:– 25.11.2024
पीठासीन अधिकारी:–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. हेम कंवर पत्नी रूपसिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम हथेली तहसील फागी जिला जयपुर राज.।

वादी

बनाम

1. तहसीलदार फागी, तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

प्रतिवादी

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता:– श्री सीताराम सैनी अधिवक्ता वादी
पैरोकार सरकार

वाद घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक:–25.11.2024

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 375 के खसरा नंबर 198 रकबा 0.3667 हैक्टेयर, ख.नं. 549 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, ख.नं. 560 रकबा 0.2403 हैक्टेयर, ख.नं. 561 रकबा 0.2782 हैक्टेयर, ख.नं. 859 रकबा 0.2529 हैक्टेयर, ख.नं. 860 रकबा 0.7713 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 3.4268 हैक्टेयर एवं खाता सं. 66 के खसरा नम्बर 548 रकबा 0.0632 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम हथेली, तहसील फागी जिला जयपुर राज0 में स्थित है, जिसमें वादीया राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार है तथा अपनी भूमि पर काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराती चली आ रही है। उक्त विवादग्रस्त आराजी की वादीया खातेदार काश्तकार एवं काबिज काश्त है, उक्त आराजी वरवक्त नामांतकरण के समय वादीया का नाम हेम कंवर पुत्री गोकुल सिंह है लेकिन वर्तमान में वादीया का राजस्व रिकार्ड में हेम कंवर पत्नी रूप सिंह राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीया के पक्ष में उक्त आराजीयात का विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाया गया है, जिसमें वादीया का नाम हेम कंवर पुत्री गोकुल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कडी तहसील व जिला अजमेर दर्ज है वादीया का अपनी पुश्तैनी भूमि में विरासत का नामांतकरण खुला उसमें पिता का गोकुल सिंह है एवं जमीन खदीदी गई उसमें भी पिता का नाम दर्ज हो गया लेकिन वदीया अपने ससुराल ग्राम कडी मे वर्तमान में अपने पति रूप सिंह के पास रह रही है एवं समस्त राजस्व रिकार्ड में हेम कंवर पत्नी रूप सिंह जाति राजपूत दर्ज है इसलिए

लगातार.....................2

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

हेम कंवर व हरे कंवर हो गया उक्त राजस्व रिकार्ड में हरे कंवर पुत्र गोकुल सिंह एवं हेम कंवर पुत्री गोकुल सिंह के स्थान पर हेम कंवर पत्नी रूप सिंह दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। हेम कंवर पत्नी रूप सिंह एवं हरे कंवर पुत्री गोकुल सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम हथेली तहसील फागी जिला जयपुर राज0 मे एक ही महिला है इस नाम के अलावा इस नाम की अन्य कोई महिला ग्राम हथेली में नहीं है, बल्कि वादीया का मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं अन्य आराजी की जमाबंदी खाता सं. 99 व 66 में वादीया का नाम हेम कंवर पत्नी रूप सिंह दर्ज है जिससे पूर्णतया सिद्ध होता है कि वादीया का नाम हेम कंवर पत्नी रूप सिंह राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित है इसलिए वादीया उक्त आराजीयात की घोषणा करवाने एवं दुरूस्ती इन्द्राज करवाने की कानूनी अधिकारी है। वादीया ने उक्त आराजीयात को काफी पैसा खर्च कर समतल व उपजाऊ बना लिया है उक्त आराजीयात की वादीया रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं शान्ति पूर्व काबिज काश्त चली आ रही है लेकिन वादीया के अनपढ व काश्तकार होने से उक्त सही नाम की जानकारी नहीं हुई एवं वादीय को हेम कंवर व हरे कंवर के नाम से पुकारते थे इसलिए दोनो ही नामों से उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में भी नाम अलग–अलग हो गये जबकि वादीया का नाम हेम कंवर पत्नी रूप सिंह सही है उक्त राजस्व रिकार्ड में हेम कंवर पत्नी रूप सिंह की जगह हरे कंवर पुत्री गोकुल सिंह हो गया जो गलत है जबकि वादीया का नाम हेम कंवर पत्नी रूप सिंह सही है जिसका राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम हरे कंवर पुत्र गोकुल सिंह की जगह हेम कंवर पत्नी रूप सिंह दुरूस्त करवाने की कानूनन अधिकारी है। अभी हाल में दिनांक 20.07.2023 को वादीया ने अपनी खातेदारी भूमि का किसान कार्ड बनवाने के लिए पटवारी हल्का से नकले प्राप्त करने पर अपने नाम की जानकारी हुई पटवारी हल्का द्वारा कहा गया कि आपका नाम राजस्व रिकार्ड में हरे कंवर पुत्री गोकुल सिह है जबकि सही नाम हेम कंवर पत्नी रूप सिंह है जिसको सक्षम न्यायालय में आदेश करवाने बाबत कहा गया इसलिए मान्य न्यायालय मे वादीया द्वारा उक्त वाद घोषण व दुरूस्ती इन्द्राज पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीया का वाद कारण दिनांक 20.07.2023 को पटवारी हल्का द्वारा सक्षम न्यायालय में दावा पेश करने व बैंक द्वारा लोन नहीं देने की धमकी देने से उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। वादीया का वाद अंदर मियाद प्रस्तुत है। प्रतिवादी को लैण्ड होल्डर होने से एवं दावा दुरूस्ती इन्द्राज का होने से पक्षकार कायम किया गया है। पक्षकारान का निवास स्थान व विवादित आराजीयात मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से श्रीमान न्यायालय को इस वाद की सुनवाई व निस्तारण का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार फागी उपस्थित हुए तथा जवाब मय फर्द मौका

लगातार.................3

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला– दूदू

हेम कंवर बनाम तहसीलदार
मु0न0:– 88/2023
निर्णय दिनांक:– 25.11.2024

रिपोर्ट पेश किया गया जिसमें बताया कि ग्राम हथेली के खाता सं. 375 के ख.नं. 198, 199, 549, 560, 561, 562, 857, 859, 860 किता 9 रकबा 3.4268 हैक्टेयर में वादी का नाम हरे कंवर पुत्र गोकुल सिंह हि0 पूर्ण जाति राजपूत सा0 कुण्डेल तहसील व जिला अजमेर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। खाता सं. 66 के ख.नं. 548 रकबा 0.0632 हैक्टेयर में वादीया का नाम जमाबंदी की क्रम सं. 17 पर हेमकंवर पत्नि रूप सिंह हिस्सा 1/24 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार एवं जमाबंदी की क्रम सं. 18 पर हेमकंवर पुत्री गोकुल सिंह हि0 1/2 जाति राजपूत सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है जो सही है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की वादी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2074 –2077 वाके ग्राम हथेली मे स्थित उक्त विवादग्रस्त आराजी वादीया नाम हिस्सा पूर्ण दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तहसीलदार फागी द्वारा पेश रिपोर्ट अनुसार हरे कंवर पुत्री गोकुल सिंह व हेम कंवर पुत्री गोकुल सिंह एक ही व्यक्ति है। मौका फर्द में बताया कि वादीया के अन्य दस्तावेज यथा राशन कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड आदि में नाम हेम कंवर पत्नी रूप सिंह दर्ज है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक मे न्यायालय वादी का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं0 375 के खसरा नंबर 198 रकबा 0.3667 हैक्टेयर, ख.नं. 549 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, ख.नं. 560 रकबा 0.2403 हैक्टेयर, ख.नं. 561 रकबा 0.2782 हैक्टेयर, ख.नं. 859 रकबा 0.2529 हैक्टेयर, ख.नं. 860 रकबा 0.7713 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 3.4268 हैक्टेयर एवं खाता सं. 66 के खसरा नम्बर 548 रकबा 0.0632 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम हथेली तहसील फागी में स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन हरे कंवर पुत्री गोकुल सिंह के स्थान पर हेम कंवर पत्नी रूप सिंह दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा उक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

25/11/24
(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

हेम कंवर बनाम तहसीलदार
मु0न0:– 88 / 2023
निर्णय दिनांक:– 25.11.2024

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6--7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (दूदू)

बइजलास– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

1. हेम कंवर पत्नी रूपसिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम हथेली तहसील फागी जिला जयपुर राज.।

वादी

बनाम

1. तहसीलदार फागी, तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

प्रतिवादी

::– वाद घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मु0न0:– 88 / 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी श्री सीताराम सैनी हाजिर रूबरू प्रतिवादी पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिकी किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 375 के खसरा नंबर 198 रकबा 0.3667 हैक्टेयर, ख.नं. 549 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, ख.नं. 560 रकबा 0.2403 हैक्टेयर, ख.नं. 561 रकबा 0.2782 हैक्टेयर, ख.नं. 859 रकबा 0.2529 हैक्टेयर, ख.नं. 860 रकबा 0.7713 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 3.4268 हैक्टेयर एवं खाता सं. 66 के खसरा नम्बर 548 रकबा 0.0632 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम हथेली तहसील फागी में स्थित है। उक्त आराजी में वादीया का नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन हरे कंवर पुत्री गोकुल सिंह के स्थान पर हेम कंवर पत्नी रूप सिंह दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा वादीया को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगा।

निज.......ल.......मुबलिग.......ल.......बाबत.......ल.......खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ....ल.......फीसदी.......ल.......सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....ल.......का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25.11.2024 को जारी की गई।

दस्तखत.......................
ओहदा.....................

मुहर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबुत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू